न्यायालय एफ0टी0सी0/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो),
रूद्रपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 811/2023
सरकार बनाम रोहित

धारा– 363, 366ए, 368, 376 भारतीय दंड संहिता एवं
धारा– 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
थाना– काशीपुर, एफ0आई0आर0 संख्या– 325/2023

<u>आरोप</u>

मैं, अश्विनी गौड़, एफ0टी0सी0/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), ऊधम सिंह नगर स्थान रूद्रपुर आप **अभियुक्त रोहित** पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ:–

प्रथम, यह कि दिनॉक 07.07.2023 को समय करीब 6.30 बजे प्रातः, थाना– काशीपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत आपने वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री का उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से बहला फुसलाकर व्यपहरण किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की **धारा–363** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय, यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान से आपने नाबालिग पीड़िता उपरोक्त को अप्राप्तवय लड़की जानकर उसके साथ अयुक्त संभोग कराने अथवा विलुब्ध कराने या स्वयं विवश या विलुब्ध किये जाने के आशय से व्यपहृण किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की **धारा–366ए** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय, यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपने व्यपहृत नाबालिग पीड़िता उपरोक्त को सदोष छिपाया या परिरोध में रखा। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो **धारा–368 भा0द0सं0** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ, यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने नाबालिग पीड़िता के साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की **धारा– 376** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं एवं इस न्यायालय के संज्ञान में हैं।

पंचम, यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपने नाबालिग पीड़िता का व्यहपरण कर उसके साथ एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमले का

अपराध कारित किया। इस प्रकार आपने धारा– 5 प्रवेशन लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध कारित किया जो धारा– 6 गुरूतर प्रवेशन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको यह निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त आरोपों में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक –21.11.2023

(अश्विनी गौड़)
एफ0टी0सी0 / अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष
न्यायाधीश पॉक्सो, ऊधम सिंह नगर।

आरोप अभियुक्त उपरोक्त को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक– 21.11.2023

(अश्विनी गौड़)
एफ0टी0सी0 / अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष
न्यायाधीश पॉक्सो, ऊधम सिंह नगर।